

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 1123 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक सितम्बर, 20-2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:- पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले 15.567 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/117639/2021

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा का पत्रांक -655/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक 11.09.2023
महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा ने अपने कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद-सोनभद्र अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले 15.567 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/117639/2021) को परीक्षणोपरान्त ऑन लाईन भाग-2 तथा अन्य आवश्यक अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करते हुए इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा उपरोक्त प्रेषित ऑन लाईन प्रस्ताव को इस स्तर से भाग-3 पूर्ण कर ऑन लाईन सबमिशन कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भववीय

(एन0 रवीन्द्रा)

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0 रवीन्द्रा)

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

भाग- III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले 15.567 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/117639/2021

14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षेणो को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे	नहीं।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारशें।	प्रश्नगत प्रस्ताव की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक 20.09.2023

स्थान-मीरजापुर

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर